

राजस्थान सरकार
स्वायत्त शासन विभाग राज0 जयपुर


क्रमांक: प.8 (ड)()विधि/मनो0/स्वा0शा0/24/ 24

दिनांक: 10.01.2024

अधिसूचना


राजस्थान नगर पालिका अधिनियम, 2009 की धारा 6 की उपधारा (1) के खण्ड (क) के परन्तुक (ii) में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राज्य सरकार राज्य की समस्त नगर निगम, नगर परिषद एवं नगरपालिकाओ में मनोनीत किये गये सदस्यो (सहवृत) सदस्यो को एतद्वारा तत्काल प्रभाव से उनका मनोनयन निरस्त किया जाकर उन्हें (सहवृत) सदस्य से हटाया जाता है।

राज्यपाल आज्ञा से,


(हृदेश कुमार शर्मा)
निदेशक एवं विशिष्ट सचिव

क्रमांक: प.8 (ड)()विधि/मनोनयन/स्वा0शा0/09/25-383 दिनांक: 10.01.2024

- प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है।
1. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, मा0 मुख्यमंत्री/ माननीय मंत्री महो0 स्वा0 शा0 विभाग राजस्थान सरकार जयपुर।
 2. निजी सचिव, मुख्य सचिव महो0 राजस्थान सरकार जयपुर।
 3. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव महो0 स्वा0शा0 विभाग राज0 जयपुर।
 4. निजी सचिव, निदेशक महोदय स्वा0 शा0 विभाग राज0 जयपुर।
 5. संभागीय आयुक्त/समस्त जिला कलक्टर, राजस्थान।
 6. निदेशक स्थानीय निधि अंकेक्षण विभाग राज0 जयपुर।
 7. उपनिदेशक (क्षेत्रीय), स्वा0 शा0 विभाग समस्त राज0।
 8. निदेशक/अधीक्षक, राजकीय केन्द्रीय मुद्राणालय राज0 जयपुर को आगामी असाधारण अंक भाग-6 (क) राज. राजपत्र में प्रकाशनार्थ।
 9. आयुक्त/अधिक्षापी अधिकारी, नगर निगम/परिषद/पालिका समस्त राज0।
 10. निदेशक, जनसम्पर्क निदेशालय/पी.आर.ओ. निदेशालय।
 11. प्रोगामर, आई.टी. सेल निदेशालय को वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु।
 12. सुरक्षित पत्रावली।


वरिष्ठ संयुक्त विधि परामर्शी